



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032020-218688
CG-DL-E-16032020-218688

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 956]
No. 956]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2020/फाल्गुन 23, 1941
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2020/PHALGUNA 23, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2020

का.आ. 1063(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1839(अ) दिनांक 24 मई 2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में NH344N के कि.मी. 7 से कि.मी.7.5 (जिला राजस्व अधिकारी, मिनी सेक्रेटेरिएट, गुडगाँव रोड झज्जर, हरियाणा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "11 जून 2019" को "टाइम्स ऑफ़ इंडिया" और "नवभारत टाइम्स" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में NH344N के कि.मी. 7 से कि.मी. 7.5 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा			जिले का नाम: झज्जर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बहादुरगढ़				
	गांव का नाम: बहादुरगढ़				
1	870 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0152	सरकारी ()
2	871	सरकारी	गैर कृषि	0.0278	सरकारी ()
3	873 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0152	सरकारी ()
4	895 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0076	सरकारी ()
5	899 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0784	सरकारी ()
6	901 min	सरकारी	गैर कृषि	0.1568	सरकारी ()
7	902 min	सरकारी	गैर कृषि	0.1012	सरकारी ()
8	903 min	सरकारी	गैर कृषि	0.2782	सरकारी ()

9	904 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0809	सरकारी ()
10	905 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0506	सरकारी ()
11	906 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0329	सरकारी ()
12	910 min	सरकारी	गैर कृषि	0.1568	सरकारी ()
गांव का नाम: बालौर					
13	28//25 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0354	सरकारी ()
14	29//12 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0126	सरकारी ()
15	29//13 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0607	सरकारी ()
16	29//14 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0354	सरकारी ()
17	29//15 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0784	सरकारी ()
18	29//17 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0556	सरकारी ()
19	29//18 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0556	सरकारी ()
20	29//19 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0506	सरकारी ()
21	29//20 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0607	सरकारी ()
22	29//21 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0379	सरकारी ()
23	29//22 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0683	सरकारी ()
24	29//23 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0152	सरकारी ()
25	29//6 min	सरकारी	गैर कृषि	0.043	सरकारी ()

26	29//7 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0329	सरकारी ()
27	32//1 min	सरकारी	गैर कृषि	0.0177	सरकारी ()
			कुल	1.6616	

[फा. सं. PIU/UER-II/01/05/3D2]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2020

S.O. 1063(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 1839(E) dated 24th May, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH344N on the stretch of land from Km. 7 to Km. 7.5 (District Revenue officer, Mini Secretariat , Gurgaon Road Jhajjar, Haryana) in the district of JHAJJAR in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “Times of India” and “Navbharat Times” both dated 11th June 2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH344N in the stretch of land from Km. 7 to Km. 7.5 in the district of JHAJJAR in the state of HARYANA.

State: HARYANA		District: JHAJJAR			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bahadurgarh				
	Village: Bahadurgarh				
1	870 min	Government	Non Agriculture	0.0152	Govt.
2	871	Government	Non	0.0278	Govt.

			Agriculture		
3	873 min	Government	Non Agriculture	0.0152	Govt.
4	895 min	Government	Non Agriculture	0.0076	Govt.
5	899 min	Government	Non Agriculture	0.0784	Govt.
6	901 min	Government	Non Agriculture	0.1568	Govt.
7	902 min	Government	Non Agriculture	0.1012	Govt.
8	903 min	Government	Non Agriculture	0.2782	Govt.
9	904 min	Government	Non Agriculture	0.0809	Govt.
10	905 min	Government	Non Agriculture	0.0506	Govt.
11	906 min	Government	Non Agriculture	0.0329	Govt.
12	910 min	Government	Non Agriculture	0.1568	Govt.
Village: Balaur					
13	28//25 min	Government	Non Agriculture	0.0354	Govt.
14	29//12 min	Government	Non Agriculture	0.0126	Govt.
15	29//13 min	Government	Non Agriculture	0.0607	Govt.
16	29//14 min	Government	Non Agriculture	0.0354	Govt.
17	29//15 min	Government	Non Agriculture	0.0784	Govt.
18	29//17 min	Government	Non Agriculture	0.0556	Govt.
19	29//18 min	Government	Non Agriculture	0.0556	Govt.
20	29//19 min	Government	Non Agriculture	0.0506	Govt.
21	29//20 min	Government	Non Agriculture	0.0607	Govt.
22	29//21 min	Government	Non Agriculture	0.0379	Govt.
23	29//22 min	Government	Non Agriculture	0.0683	Govt.
24	29//23 min	Government	Non Agriculture	0.0152	Govt.

25	29//6 min	Government	Non Agriculture	0.043	Govt.
26	29//7 min	Government	Non Agriculture	0.0329	Govt.
27	32//1 min	Government	Non Agriculture	0.0177	Govt.
			TOTAL	1.6616	

[F.No. PIU/UER-II/01/05/3D2]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.